निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0।

सं0 C-913 /बा0वि0परि0/स्था0-4/2010-11 दिनांक 23-7-10

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषय:- आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओ को मातृत्व अवकाश तथा
गर्भपात/प्रसव अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

कृपया निदेशालय पत्र सं0-सी-318 दिनांक 11,मई,2010 का संदर्भ लें जिसके द्वारा आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओ को मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात/अकाल प्रसव के अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग शास्त्री भवन,नई दिल्ली ने अपने पत्र सं0 1-3/2010-सीडी-1 दिनांक 09,जुलाई,2010 द्वारा आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओं को निम्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया है।

(1) मातृत्व अवकाश

ऐसी आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओं को जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो को सेवाकाल में अधिकतम 02 बार व 02 बच्चो तक जिनमे कम से कम 03 वर्ष का अन्तर हो, परिवार सीमित रखने पर ही कुल 180 दिनों तक मातृत्व अवकाश गर्भधारण करने के 08 माह पूर्ण होने के पश्चात से देय होगा।

(2) गर्भपात/प्रसव में अवकाश

ऐसी आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओं को जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो को सेवाकाल में अधिकतम 01 बार कुल 45 दिनों तक गर्भपात/अकाल प्रसव अवकाश देय होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओ को उक्तानुसार अवकाश स्वीकृत किये जायें तथा उक्तवत अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी भी दशा में संबंधित आंगनबाडी केन्द्र पर लाभार्थियो को दी जाने वाली सुविधाये प्रभावित न हों।

कृपया उपरोक्त से आंगनबाडी कार्यकत्रियो/सहायिकाओं को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

21-7-10

(देवेन्द्र नाथ वर्मा)
निदेशक।

D.P.O.Deeksha III